यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

'महत्वपूर्ण' समनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति 2023-24

निवेशक सेवाएँ प्रभाग, बोर्ड सचिवालय
239, विधान भवन मार्ग ,नरीमन पॉइंट ,मुंबई – 400 021.

विषयसूची

परि क्र.	खंड	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	1
2.	उद्देश्य	1
3.	परिभाषाएँ	1
4.	नीति	2
4.1	महत्वपूर्ण समनुषंगी को निर्धारित करना	2
4.2	महत्वपूर्ण समनुषंगी (यों) की निगरानी (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध)	2
4.3	गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण समनुषंगी (यों) की निगरानी	3
4.4	गैर-सूचीबद्ध समनुषंगी (यों) की निगरानी (महत्वपूर्ण/गौण)	3
4.5	सहायक कंपनी जो स्वयं एक होल्डिंग कंपनी है, के लिए प्रावधानों की प्रयोज्यता	3
5.	नीति की समीक्षा	4
6.	प्रकटीकरण	4

महत्वपूर्ण समनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति 2023-24

1. परिचय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **("बैंक")** के निदेशक मंडल **("बोर्ड")** ने महत्वपूर्ण समनुषंगियों के निर्धारण के संबंध में इस नीति और इसकी प्रक्रियाओं को अपनाया है।

2. उद्देश्य

इस नीति को सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 **("सूचीकरण विनियम")** की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है । यह नीति बैंक की महत्वपूर्ण समनुषंगियों के निर्धारण के लिए तैयार की गई है।

3. परिभाषाएं

(ए) **"लेखापरीक्षा समिति या समिति"** का अर्थ, सूचीकरण विनियमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में गठित बैंक के निदेशक मंडल की समिति से है।

(बी) **"बोर्ड"** का अर्थ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के तहत गठित बैंक के निदेशक मंडल से है।

(सी) **"वित्तीय वर्ष"** का अर्थ है लेखा वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष मार्च की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जिसके संबंध में बैंक का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

(डी) एक या एक से अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में **"होल्डिंग कंपनी"** का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां / निकाय कॉर्पोरेट सहायक कंपनियां हैं।

(ई) **"निवल मालियत"** का अर्थ चुकता शेयर पूंजी का कुल मूल्य और लाभ, प्रतिभूति प्रीमियम खाते और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस से निर्मित सभी आरक्षित, संचित हानियों के कुल मूल्य में कटौती के बाद, आस्थगित व्यय और विविध व्यय से है, जिसे लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बट्टे खाते में नहीं डाला गया है, लेकिन इसमें आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित भंडार, मूल्यह्रास का राइट-बैक और समामेलन शामिल नहीं है।

(एफ़) **"नीति"** का अर्थ 'महत्वपूर्ण समनुषंगी के निर्धारण के लिए नीति' है.

(जी)**"सहायक कंपनी" या "सहायक संस्था"** का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसमें होल्डिंग कंपनी-

(i) निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करता है; या

(ii) स्वयं या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ कुल मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण करता है।"

व्याख्या-

i. एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी माना जाएगा, भले ही उप-खंड में संदर्भित नियंत्रण (i) या उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण होल्डिंग कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी का हो;

ii. एक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जाएगा यदि वह अन्य कंपनी अपने विवेक पर कुछ शक्ति का प्रयोग करके सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटा सकती है;

iii. "कंपनी" में कोई भी निगमित निकाय शामिल है।

4. नीति

4.1 प्रमुख सहायक संस्था का निर्धारण - बैंक की एक सहायक संस्था को एक महत्वपूर्ण समनुषंगी के रूप में माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई शर्तों में से किसी को भी पूरा करती है:

ए. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार सहायक की निवल संपत्ति बैंक और उसकी अनुषंगियों **के समेकित निवल मूल्य के 10% से** अधिक है; या

बी. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सहायक संस्था की आय बैंक और उसकी समनुषंगियों की **समेकित आय के 10% से** अधिक है ।

बैंक प्रत्येक वर्ष 30 जून को या उससे पहले महत्वपूर्ण समनुषंगी (यों), यदि कोई हो, की पहचान करेगा।

4.2 महत्वपूर्ण समनुषंगी (यों) की निगरानी (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध):

बैंक, अपनी सामान्य बैठक में विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों के पूर्वानुमोदन के बिना, निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

ए) अपनी महत्वपूर्ण समनुषंगी में शेयरों का निपटान, जो इसकी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायकों के साथ) को 50% से कम या उसके बराबर कर देगा या सहायक संस्था पर नियंत्रण का प्रयोग बंद कर देगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां इस तरह का विनिवेश, न्यायालय/न्यायाधिकरण या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित समाधान योजना के तहत किया जाता है और इस तरह की घटना का खुलासा संकल्प योजना के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता है।

बी) एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर महत्वपूर्ण समनुषंगी की संपत्ति के 20% से अधिक की संपत्ति की बिक्री, निपटान या पट्टे पर देना, जब तक कि बिक्री/निपटान/पट्टा किसी न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत नहीं किया जाता है या दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित एक समाधान योजना के तहत और इस तरह की घटना का खुलासा संकल्प योजना के स्वीकृत होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाता है।

4.3 गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण समनुषंगियों की निगरानी:

बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, एक गैर-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण समनुषंगी के निदेशक मंडल में एक निदेशक होगा, चाहे वह भारत में निगमित हो या नहीं।

स्पष्टीकरण : इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए, "महत्वपूर्ण समनुषंगी" शब्द का अर्थ एक समनुषंगी होगी, जिसकी आय या निवल मालियत क्रमशः पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में बैंक और उसकी सहायक कंपनियों की समेकित आय या निवल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है.

4.4 गैर-सूचीबद्ध समनुषंगियों की निगरानी *(महत्वपूर्ण /गौण)* -

ए) बैंक की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों की विशेष रूप से, गैर-सूचीबद्ध समनुषंगी द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करेगी।

बी) गैर-सूचीबद्ध समनुषंगी कंपनी के बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त बैंक के बोर्ड की बैठक में रखे जाएंगे।

सी) गैर-सूचीबद्ध समनुषंगी का प्रबंधन समय-समय पर बैंक के निदेशक मंडल के ध्यान में गैर-सूचीबद्ध समनुषंगी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं के विवरण को लाएगा।

व्याख्या: "महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था" का अर्थ किसी भी व्यक्तिगत लेनदेन या व्यवस्था से है जिसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए गैर-सूचीबद्ध समनुषंगी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल आस्ति या कुल देयताओं, जैसा भी मामला हो, के 10% से अधिक होने की संभावना है ।

4.5 जहां बैंक की एक सूचीबद्ध समनुषंगी है, जो स्वयं एक होल्डिंग कंपनी है, वहाँ उसकी समनुषंगियों के संबंध में है, उपरोक्त प्रावधान सूचीबद्ध समनुषंगी पर लागू होंगे।

5. नीति की समीक्षा

समय-समय पर नियामक आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव के कारण नीति अद्यतन/समीक्षा के अधीन है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ("**एसीबी**") को समय-समय पर इस नीति में बदलाव की समीक्षा करने और सिफारिश करने का अधिकार है। नीति को एसीबी की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

6. प्रकटीकरण

महत्वपूर्ण समनुषंगी के निर्धारण की नीति का प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर किया जाएगा और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में उसका एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।